पत्रांकः 584 /4/(विद्युत)/को0नि0/प्रावि0

प्रेषक,

निदेशक,
कोषागार,उ0प्र0,
1018, जवाहर भवन,
लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उ0प्र0

उ0 प्र0 पा0 का0 इ0 ट्
शक्ति भवन, लखनऊ

दिनांकः 27 मई, 2016

विषयः— उत्तर प्रदेश के विद्युत पावर कार्पोरेशन के पेंशनरों के पेंशन भुगतान के संबंध में ।

महोदय,

ऊर्जा निगमों द्वारा अपने बहुत से पेंशनरों की पेंशन उत्तर प्रदेश के बाहर खोले गये बैंक खातों में भेजी जा रही थी । वर्तमान में शासन के निर्णय के अनुसार वही पेंशन कोषागारों द्वारा भेजी जानी है । बैंक खातों को लेकर कोषागारों ने यह आवश्यकता बताई कि ऊर्जा निगमों के पेंशनर भी उत्तर प्रदेश में खोले गये बैंक खातों से ही पेंशन प्राप्त करें । कोषागारों के इस निर्देश का एक प्राथमिक अध्ययन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के कोषागारों द्वारा ऊर्जा निगमों के पेंशनरों की पेंशन उन्हीं बैंक खातों में भेजी जाये जिसमें पूर्व से ऊर्जा निगमों द्वारा पेंशन भेजी जा रही थी । इस व्यवस्था से ऊर्जा निगमों के पेंशनरों की कोषागार द्वारा बैंक खातों को लेकर उठाई गयी मांग जो उनकी समस्या बन गयी थी, हल हो जायेगी, परन्तु निगम के भविष्य में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होगें उनकी पेंशन उत्तर प्रदेश में खोले गये खातों के माध्यम से ही भेजी जायेगी ।

भवदीय,

(लोरिक यादव)
निदेशक ।

पत्रांक एवं दिनांकः उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः— श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी, प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, 14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ को उनके पत्र संख्या—663/ट्रस्ट/कोषागार भुगतान दिनांकः 17.05.2016 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया यह निर्देश जारी करें कि जो कर्मचारी भविष्य में सेवानिवृत्त होगें उनके खाते उत्तर प्रदेश में ही खोले जाये जिससे कि उनकी पेंशन सुगमता से स्थानान्तरित की जा सके ।

27.05.16

(लोरिक यादव)
निदेशक ।